

To, The Branch Manager HDFC Bank Ltd. Ranchi

NON-ENCUMBRANCE CERTIFICATE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूचि 21 - प्रपत्र संख्या 112

प्रमाण पत्र संख्या 474/24

आवेदन पत्र सं० 1015

चूंकि श्री Reach Marketing Pvt. Ltd.

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे संबंध अनुक्रमणियों में ता० 11/11/16 से ता० 11/11/16 तक तलाशी की गई और ऐसे तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है -

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
MOREZ	PS	Kholans		Plots	Arew			
Muramledan-51	Rangeth	4		338		111 Dec.		
		4		338		5 1/2 Dec.		
		4		338		14 1/2 Dec.		
		15		332		9 1/2 Dec		
		15		333		42 1/2 Dec.		
		15		334		1 1/2 Dec		
						184 1/2 Dec.		

07 15

खाता.....प्रतिबंधित भूमि में नही है।

5

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें -
 (ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इसके बारे में उल्लेख हो।
 (ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर -

पदनाम -

प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने किया -

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -

जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग, गोलाम, रामगढ़ 11/12/14



तारीख

जिला अवर निबंधक
रामगढ़ का हस्ताक्षर
11/12/14

टिप्पणी : इस प्रमाण पत्र में संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जैशन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा इन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जर्जरत तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी। विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जाएगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की भी विभाग प्रमाण पत्रों में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिखा गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गए ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा तथा किसी भी भूल अथवा छूट के लिए कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा, जिसमें उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

11/12/14 स्वयं जाँचा रजम भाद 11/12/14

